कमिश्नर सेल्स टैक्स, यूपी

बनाम

आगरा बेल्टिंग वर्क्स, आगरा

अप्रैल 29,1987

[आर. एस. पाठक, सी. जे. आई., रंगनाथ मिश्रा और बी. सी. रे न्यायाधिपतिगण]

यूपी बिक्री कर अधिनियम, 1948 - धारा 3 – ए - 'सभी प्रकार की बेल्टिंग' पर बिक्री कर का अधिरोपण-1958 और 1973 की अधिसूचनाओं का प्रभाव।

राज्य सरकार ने यूपी बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शिंक्यों का प्रयोग करते हुए 25 नवंबर, 1958 को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना ने 'सभी किस्मों के सूती कपड़ों' को बिक्री कर से छूट दी। इसके तहत, सूती कपड़े की एक वस्तु के रूप में पट्टा को कर दायित्व से छूट दी गई थी। इसके बाद, अधिनियम की धारा 3-ए के तहत 1 दिसंबर, 1973 को एक और अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना में अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई दर से अधिक कर की दर निर्धारित की गई है जिसमें चार्जिंग प्रावधान शामिल है और बिक्री पर कर की एक समान दर निर्धारित की गई है। धारा 3-ए राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा कर की दर को संशोधित करने का

अधिकार देती है। 1973 की यह अधिसूचना 1958 की पिछली अधिसूचना को वापस लिये बिना जारी की गयी थी।

उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि 1958 की पिछली अधिसूचना को वापस लेने वाली अधिसूचना के अभाव में, बिक्री कर 1973 की अधिसूचना के संदर्भ में देय नहीं होगा।

अपील को स्वीकार करते ह्ये, अभिनिधीरित किया

(बहुमत के द्वारा, पाठक, मुख्य न्यायाधिपति और रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपाति., रे, न्यायाधिपति - असहम)

- 1. उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि 1958 की पिछली अधिसूचना को वापस लेने वाली अधिसूचना के अभाव में, बिक्री कर 1973 की अधिसूचना के संदर्भ में देय नहीं होगा। न्यायाधिकरण का आदेश, जिसकी पृष्टि की गई है उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और निर्धारण बहाल कर दिया। [96 जी]
- 2. अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी 1958 की अधिसूचना में 'सभी किस्मों के सूती कपड़ों' को बिक्री कर से छूट दी गई। अधिनियम की धारा 3-ए के तहत 1973 की अधिसूचना में सभी प्रकार की बेल्टिंग की बिक्री पर 7% बिक्री कर निर्धारित किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पट्टा एक प्रकार की बेल्टिंग सामग्री है और, सूती कपड़े के रूप में माने जाने पर, बिक्री कर से छूट दी गई थी। [95 एफजी]

- 3. धारा 3 प्रभार का प्रावधान है; धारा 3-ए कर की दर में बदलाव को अधिकृत करती है और धारा 4 कर से छूट प्रदान करती है। जब धारा 4 के तहत दायित्व से छूट देने वाली अधिसूचना के बाद, धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना कर की दर निर्धारित करती है, तो इरादा छूट को वापस लेने और बिक्री को अधिसूचना में निर्धारित दर पर कर के लिए उत्तरदायी बनाने का होता है। [96 बी-डी]
- 4. चूंकि छूट देने और कर की दर में बदलाव दोनों की शिक्त राज्य सरकार में निहित है और यह क़ानून की आवश्यकता नहीं है कि छूट वापस लेने की अधिसूचना लागू करने की एक शर्त है धारा 3-ए के तहत एक वैध अधिसूचना द्वारा किसी भी निर्धारित दर पर कर लगाने के मामले में, दूसरी अधिसूचना को आसानी से एक संयुक्त अधिसूचना के रूप में माना जा सकता है-छूट वापस लेने के लिए और उच्च कर प्रदान करने के लिए भी। [96 डी-ई]
- 5. छूट वस्तुओं के एक वर्ग के संबंध में थी और जबिक छूट जारी है, एक विशिष्ट वस्तु को अब अधिनियम की धारा 3-ए के तहत अधिसूचित किया गया है। [96 एफ]

(रे, न्यायधिपति द्धारा - असहमति)

 कपास बेल्टिंग अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित 'सभी प्रकार की बेल्टिंग' के अंतर्गत आती है, जो बिक्री कर लगाने से मुक्त है। चूँिक 1957 और 1958 में जारी अधिसूचनाओं में 'सभी प्रकार के सूती कपड़ों' को छूट देते हुए एक सामान्य छूट दी गई है, इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण से यह मानना संभव नहीं है कि यह बिक्री कर के दायरे में आएगा। सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3-ए के तहत 1 दिसंबर, 1973 की अधिसूचना के आधार पर। [98 एफ; जी-एच]

- 2. जब तक 'सभी प्रकार के सूती कपड़ों' के संबंध में धारा 4 के तहत दी गई सामान्य छूट जारी रहती है, तब तक सभी प्रकार के बेल्टिंग पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है जो 'सभी प्रकार के सूती कपड़ों' और सामान्य छूट के अंतर्गत आते हैं। धारा 4 के तहत बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत की गई अधिसूचना पर लागू होगी। [99 जीएच]
- 3. इस दृष्टिकोण से सहमत होना संभव नहीं है कि चूंकि धारा 3-ए के तहत अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के बाद बनाई गई है, इसलिए धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत दी गई सामान्य छूट पर लागू होगी। [99 एच; 100 ए]

पोरिट्स एंड स्पेंसर एशिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, [1978] 42 एस.टी.सी. 433 (एससी); तिमलनाडु राज्य बनाम नवीनचंद्र एंड कंपनी, [1981] (48) एस.टी.सी. 118 (मद्रास); दिल्ली क्लॉथ

एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, [1980] 4 एस.सी.सी. 71; सेल्स टैक्स कमिश्नर बनाम मिस दयाल सिंह कुल्फी वाला, लखनऊ, [1980] यू.पी.टी.सी. 360 और बिक्री कर आयुक्त बनाम रीता आइसक्रीम कंपनी, गोरखपुर, [1981] यू.पी.टी.सी. 1239, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1134 (एनटी) /

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बिक्री कर संशोधन संख्या 146/1983 में के निर्णय और आदेश दिनांक 2.3.1984 से।

पृथ्वी राज, अशोक के. श्रीवास्तव, अपीलकर्ता की ओर से।

एस.टी. देसाई, के.बी. रोहतगी, एस.के. ढींगरा, बलदेव आत्रेय और शशांक शेखर, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया

विशेष अनुमित प्रदान की गई। छह दिन की देरी माफ की जाती है। राजस्व के उदाहरण पर इस अपील में विचार करने के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि अधिसूचना के अभाव में यूपी की धारा 4 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 25.11.1958 की पिछली अधिसूचना को वापस ले लिया जाए। बिक्री कर अधिनियम, 1948, उस अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 1.12.1973 के संदर्भ में बिक्री कर देय नहीं होगा।

1958 की अधिसूचना में 'सभी किस्मों के सूती कपड़ों' को बिक्री कर से छूट दी गई। इसमें कोई विवाद नहीं है। इसके तहत पट्टा की बिक्री, सूती कपड़े के रूप में विचाराधीन माल को बिक्री कर से छूट दी गई थी। अधिनियम की धारा 3 ए के तहत 1973 की अधिसूचना में सभी प्रकार की बेल्टिंग की बिक्री पर सात प्रतिशत बिक्री कर निर्धारित किया गया था। अब इसमें कोई विवाद नहीं है कि पट्टा एक प्रकार की बेल्टिंग सामग्री है।

अधिनियम की धारा 3 में चार्जिंग प्रावधान शामिल है और बिक्री पर कर की एक समान दर निर्धारित की गई है। धारा 3 ए राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा कर की दर को संशोधित करने का अधिकार देती है। 1973 की अधिसूचना वास्तव में धारा द्वारा प्रदान की गई दर से अधिक कर की दर निर्धारित करती है

अधिनियम की धारा 3 में चार्जिंग प्रावधान शामिल है और बिक्री पर कर की एक समान दर का प्रावधान है। धारा 3 ए राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा कर की दर को संशोधित करने का अधिकार देती है। 1973 की अधिसूचना वास्तव में धारा 3 द्वारा प्रदान की गई कर की दर से अधिक निर्धारित करती है। 1958 में, ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के तहत, सूती कपड़े की वस्तु के रूप में पट्टा को कर दायित्व से छूट दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने इसके पहले के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया है:

"इस प्रकार इस अदालत का लगातार यही मानना रहा है कि धारा 3 ए के तहत एक अलग अधिसूचना जारी करके, अधिनियम की धारा 4 के तहत दी गई पहले की छूट को नकारा नहीं जा सकता है। यदि राज्य 'सभी प्रकार की बेल्टिंग' पर कर लगाना चाहता है, इसे अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना से सूती कपड़े की बेल्ट को हटाकर धारा 4 के तहत जारी सामान्य अधिसूचना में संशोधन करना होगा।"

जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 3 चार्जिंग प्रावधान है; धारा 3 ए कर की दर में बदलाव को अधिकृत करती है और धारा 4 कर से छूट प्रदान करती है। सभी तीन धाराएं अधिनियम में शामिल कर योजना के भाग हैं और धारा 3 ए और धारा 4 दोनों के तहत शिक केवल राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकती है। जब धारा 4 के तहत दायित्व से छूट देने वाली अधिसूचना के बाद, धारा 3 ए के तहत बाद की अधिसूचना कर की दर निर्धारित करती है, तो यह संदेह से परे है कि इरादा छूट वापस लेने और बिक्री को अधिसूचना में निर्धारित दर पर कर के लिए उत्तरदायी बनाने का है। चूंकि छूट देने और कर की दर में बदलाव दोनों की शिक राज्य सरकार में निहित है और यह क़ानून की आवश्यकता नहीं है कि छूट

वापस लेने की अधिसूचना किसी भी निर्धारित दर पर कर लगाने से पहले की शर्त है। धारा 3 ए के तहत एक वैध अधिसूचना, हमें निर्धारिती के तर्क में कोई ताकत नहीं दिखती है जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। वास्तव में, दूसरी अधिसूचना को आसानी से एक संयुक्त अधिसूचना के रूप में माना जा सकता है - छूट वापस लेने और उच्च कर प्रदान करने दोनों के लिए। जब दोनों कार्यों की शिक्त राज्य में निहित है और कर लगाने का इरादा स्पष्ट है तो हमें दूसरी अधिसूचना को प्रभावी न करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। हम यह बताना चाहेंगे कि छूट वस्तुओं के एक वर्ग के संबंध में थी और जबिक छूट जारी है, एक विशिष्ट वस्तु को अब अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचित किया गया है।

अपील स्वीकार की जाती है। न्यायाधिकरण का आदेश, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, को रद्द कर दिया गया है और मूल्यांकन बहाल कर दिया गया है। पक्षकारों को अपनी-अपनी लागत वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

बी. सी. रे, नयायाधिपति, मुझे अपने विद्वान भाई द्वारा दिए गए फैसले को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, लेकिन मैं अपने विद्वान भाई द्वारा अपने फैसले में दर्ज किए गए तर्कों से सहमत होने में असमर्थ हूं, क्योंकि यह उ.प्र. की धारा ३ए की अधिसूचना दिनांक 1.12.19 के तहत बनाया गया, के दायरे और प्रभाव से संबंधित है। बिक्री कर अधिनियम, 1948 में

नीचे दिए गए कारणों के लिए "सभी प्रकार की बेल्टिंग" पर बिक्री कर लगाने का प्रावधान है: -

उ.प्र. बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के तहत सरकार ने दो अधिसूचनाएं संख्या नंबर एस.टी. 4486/x दिनांक 14.12.1957 और संख्या 4064/x-960(4)/58 दिनांक 25.11.1958 जारी कीं, जिसके तहत "सभी प्रकार के सूती कपड़ों" को अधिनियम के तहत बिक्री कर लगाने से छूट दी गई थी। इसके बाद 1 दिसंबर 1973 को सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3-ए के तहत एक अधिसूचना जारी की गई, जो बिक्री कर लगाने के लिए आइटम नंबर 8 में "सभी प्रकार की बेल्ट" की अनुसूची में शामिल है। इस अपील में उठने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 1.12.1973 की अधिसूचना के आधार पर सभी प्रकार की बेल्टिंग पर बिक्री कर लगाया जाता है, भले ही वे "सभी प्रकार के सूती कपड़ों" के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अधिसूचना दिनांक 14.12.1957 और 25.11.1958 के आधार पर कर से छूट दी गई है। इसी तरह का प्रश्न पोर्टिट्स एंड स्पेंसर एशिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, [1978] 42 एस.टी.सी. 433 (एससी) के मामले में भी इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उठा। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि शब्द "सूती, ऊनी या रेशमी वस्त्रों की सभी किस्में" पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की अनुसूची बी के आइटम 30 में इसकी लोकप्रिय भावना के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए, जिसका अर्थ है "वह अर्थ जो लोग उस विषय वस्तु से परिचित होंगे जिसके साथ क़ानून निपट

रहा है।" इस न्यायालय ने आगे कहा, "बुनाई का तरीका चाहे जो भी हो, बुना हुआ कपड़ा "कपड़ा" ही होगा। जो आवश्यक है वह सूत की बुनाई से ज्यादा कुछ नहीं है और बुनाई का मतलब किसी प्रक्रिया द्वारा बांधना या एक साथ रखना होगा ताकि एक कपड़ा बनाया जा सके। इसके अलावा कपड़ा किसी विशेष आकार या ताकत या वजन का होना जरूरी नहीं है। यह छोटे टुकड़ों में या बड़े रोल में हो सकता है: यह क्रेता की आवश्यकता के अनुसार कमजोर या मजबूत, हल्का या भारी, ब्लीच या रंगा हुआ हो सकता है या उपयोग इसे किसमें रखा जा सकता है, इसका भी कोई महत्व नहीं है और इसका चरित्र वस्त्र के रूप में नहीं है। इसका उपयोग पहनने के परिधान बनाने के लिए किया जा सकता है, या इसका उपयोग कवरिंग या बेड-शीट के रूप में किया जा सकता है या इसका उपयोग टेपेस्ट्री या असबाब के रूप में किया जा सकता है या साफ़ करने के लिए इस्टर के रूप में या शरीर को सुखाने के लिए तौलिये के रूप में। एक वस्त्र के विविध उपयोग हो सकते हैं और यह उपयोग नहीं है जो वस्त्र के रूप में इसके चरित्र को निर्धारित करता है

यह भी माना गया कि वस्त्र का केवल एक ही अर्थ होता है, बुना हुआ कपड़ा और सामान्य बोलचाल में इसका वही अर्थ होता है। इसलिए न्यायालय ने माना कि ड्रायर फेल्ट वस्त्र हैं क्योंकि ये सूत से बने होते हैं और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया ताना और बाना पैटर्न के

अनुसार बुनाई की होती है। इसलिए यह कपड़ा के अर्थ में आता है और इसलिए इसे कर से छूट दी गई है।

इसी तरह का प्रश्न तमिलनाडु राज्य बनाम नवीनचंद्र एंड कंपनी, [1981] (48) एस.टी.सी. 118 (मद्रास) के मामले में उठा। जहां उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के आइटम नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले कॉटन बेल्टिंग के संबंध में तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1959 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के आधार पर छूट का दावा किया गया था। यह आइटम नंबर 4 इस प्रकार है-

"सभी प्रकार के वस्त्र (दरी, कालीन, ड्रगगेट्स और शुद्ध रेशम के कपड़े के अलावा) पूरी तरह या आंशिक रूप से कपास, स्टेपल फाइबर, रेयान, कृत्रिम रेशम या ऊन से बने होते हैं जिनमें रूमाल, तौलिए, नैपिकन, डस्टर, सूती मखमल और मखमली, टेप शामिल हैं। लंबाई में निवार और लेस और होजरी कपड़ा।"

यह माना गया कि फैब्रिक कॉटन-बेल्टिंग और हेयर-बेल्टिंग की तुलना में व्यापक अर्थ वाले वस्त्रों को सूती फैब्रिक की अभिव्यक्ति में शामिल किया गया था और इस तरह उन्हें तीसरी अनुसूची के आइटम नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले कराधान से छूट दी गई है क्योंकि यह इसके संशोधन से पहले था।

इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि दिल्ली कपड़ा और जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [1980] (4) एस.सी.सी. 71 के मामले में सवाल उठा कि क्या अपीलीय कंपनी द्वारा निर्मित रेयान टायर कॉर्ड फेंब्रिक को राजस्थान कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा अनुसूची में शामिल आइटम नंबर 18 के अंतर्गत शामिल किया गया है और रेयान या कृत्रिम रेशम फेंब्रिक को धारा 4 (1) के तहत छूट तक बढ़ाया गया है। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम जो अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के बिक्री कर से छूट प्रदान करता है। यह माना गया है कि उत्पाद उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा सिम्मिलत अनुसूची के आइटम नंबर 18 में छूट प्राप्त आइटम रेयान या कृत्रिम रेशम कपड़ों के अंतर्गत आता है। यह निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसमें हममें से एक पक्ष था।

वर्तमान मामले में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या "सभी प्रकार के सूती कपड़ों" से आच्छादित पट्टा दिनांक 1. 12. 1973 की अधिसूचना अर्थात् "सभी प्रकार के सूती कपड़ों" के तहत बिक्री कर के दायरे में आता है। यहां उल्लिखित निर्णयों के मद्देनजर उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित सभी किस्मों के वस्त्रों के अंतर्गत आने वाले कॉटन बेल्टिंग को बिक्री कर लगाने से छूट दी गई है। विचारणीय प्रश्न यह है कि दिनांक 1.12.1973 को उक्त अधिनियम की धारा 3-ए के तहत जारी अधिसूचना का अनुसूची में उल्लेख "सभी प्रकार के बेल्ट" का क्या प्रभाव

है। इसमें कोई विवाद नहीं है और न ही कोई चुनौती है कि ये बेल्टिंग सभी प्रकार के सूती कपड़ों के अंतर्गत आने वाली सूती बेल्टिंग हैं और चूंकि 1957 और 1958 में जारी अधिसूचना में 'प्रकार के सूती कपड़ों' को छूट देने के लिए एक सामान्य छूट दी गई है, इसलिए इसे रोकना संभव नहीं है। इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण में यह सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3-ए के तहत अधिसूचना दिनांक 1.12.19 के आधार पर बिक्री कर के दायरे में आएगा।

विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि बिक्री कर लगाने के लिए अनुसूची में एक आइटम सिहत धारा 3-ए के तहत अधिसूचना का प्रभाव क्या होता है, हालांकि बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 के तहत बिक्री कर से सामान्य छूट है। यह बिक्री कर आयुक्त बनाम मैसर्स दयाल सिंह कुल्फी वाला, लखनऊ, [1980] यू.पी.टी.सी. 360 के मामले में आयोजित किया गया है, इस प्रकार है:-

"मेरे सामने आए राजकोषीय क़ानून की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए। यदि कोई अस्पष्टता या संदेह है तो इसे विषय के पक्ष में हल किया जाना चाहिए। कर के बारे में कोई समानता नहीं है। कर दायित्व स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। वर्तमान मामले में, धारा 3-ए के प्रयोजन के लिए माल की विशिष्टता एक बात है, लेकिन ऐसे माल को कर से

छूट दी जाएगी या नहीं, यह अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार को दी गई शक्ति है। जब तक छूट जारी है, डीलर निश्चित रूप से आग्रह कर सकता है और न्यायसंगतता के साथ कि केवल धारा 3-ए के तहत माल का विनिर्देशन या कर के लिए उत्तरदायी ऐसे टर्नओवर पर बिक्री के बिंद् की घोषणा करने से उस कर के भ्गतान से छूट नहीं छीन ली जाएगी जिसका अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के आधार पर माल का उपभोग किया था। दो धाराओं अर्थात धारा 3-ए के परिचालन क्षेत्र स्वयं धारा 4 के तहत शक्ति को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि कुछ सामान राज्य सरकार द्वारा उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत, यदि ऐसे सामान को बिक्री से छूट दी गई थी, तो विभाग यह तर्क नहीं दे सकता कि छूट का अर्थ निर्धारिती के पक्ष में नहीं लगाया जाना चाहिए।"

इस मामले में सवाल उठा कि क्या दूध और दूध उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 4 के तहत दी गई सामान्य छूट कुल्फी और लस्सी को छूट देने के लिए पर्याप्त है, जिसके संबंध में कर लगाने के लिए धारा 3-ए के तहत एक अलग अधिसूचना जारी की गई थी। इसी तरह का प्रश्न बिक्री कर आयुक्त बनाम रीटा आइसक्रीम कंपनी, गोरखपुर, [1981] यू.पी.टी.सी. 1239 के मामले में भी उठा और यह माना गया कि जब तक धारा 4 के तहत सामान्य छूट जारी रहती है तब तक बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत अधिसूचित किसी विशेष वस्तु पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

उपरोक्त सभी निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, एकमात्र अकाट्य निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक सभी प्रकार के सूती कपड़ों के संबंध में धारा 4 के तहत दी गई सामान्य छूट जारी रहती है, तब तक सभी प्रकार की बेल्टिंग पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है। सभी प्रकार के सूती कपड़ों के भीतर और धारा 4 के तहत सामान्य छूट बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत की गई अधिसूचना पर लागू होगी। मैं इस विचार से सहमत होने में असमर्थ हूं कि चूंकि यू.पी. विक्रय कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के बाद की गई है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के अनुरूप, धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दी गई सामान्य छूट पर लागू होगी। मेरी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष अपरिहार्य हैं। तदनुसार अपील खारिज की जाती है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश की पुष्टि की जाती है। एन.पी.वी. यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।